



सर्वोच्च न्यायालय के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए  
मे किसी प्रकार की दखलबाजी न  
करने का न कृप्य से कहे। इस  
कारण की वरिष्ठ विधेयता विरुद्ध  
विपक्षी लक्ष्यसाल प्राप्त बाद तक जारी  
की जाती है। उक्त पत्रावली प्राप्त  
पत्रावली संख्या 116 के साथ संलग्न  
की जावे। काफ़ शखला पत्रावली विधि  
सुमार होकर नम्बर से क्रम से  
निर्णय सुचारुता गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (मीलवाडा)